HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Revision Petition No. 275/2026
URN: CR / 451U / 2026

1. Gram Panchayat Hardatpura, Through Sarpanch, Address Office Gram Panchayat Hardatpura, Panchayat Samiti Jalsu District Jaipur, Rajasthan.
2. Gram Panchayat Hardatpura, Through Gram Vikas Adhikari, Address Office Gram Panchayat Hardatpura, Panchayat Samiti Jalsu District Jaipur, Rajasthan.

----Petitioners

Versus

1. Ramswaroop Sharma, S/o Rameshwar Sharma
2. Kanaram Sharma S/o Ramswaroop Sharma, Both R/o Kishanpura Gram Panchayat Hardatpura, Panchayat Samiti Jalsu, District Jaipur, Rajasthan.
3. Panchayat Samiti, Jalsu Through B.d.o. Address Office Panchayat Samiti Jalsu, District Jaipur Rajasthan.
4. District Collector Mohdaya Jaipur, Address Collectorate Circle Bani Park, Jaipur Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Ayush Dutt, Adv. for Mr. Devendra Kumar Bhardwaj, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

17/07/2026

S.B. Civil Misc. Stay Application No. 2823/2026 IN
S.B. Civil Revision Petition No. 275/2026:-

स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

याचीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 109 के तहत पंचायतीराज संस्थान के विरुद्ध कोई भी वाद संस्थित करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। इस प्रकरण में दो माह का अनिवार्य नोटिस याचीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश (पश्चिम), जयपुर महानगर द्वितीय में लंबित दीवानी वाद संख्या 30/2026 में अग्रिम कार्यवाही स्थगित की जावे।

याचीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत कियेः–

1. Ladu Ram & Ors. Vs. State of Rajasthan & Ors.; DB Civil Writ Petition No. 13537/2012; Judgment Dated 11.09.2012
2. Suresh Kumar Vs. Dr. Devdutt & Ors.; SB Civil Writ Petition No. 2481/2023; Order Dated 16.02.2023

सुना गया तथा पत्रावली व प्रस्तुत विनिश्चयों का अवलोकन किया गया।

प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर वादीगण के कब्जेशुदा, स्वामित्व व आधिपत्य के भूखण्ड, जिसका उल्लेख वादपत्र के पैरा संख्या 1 में किया गया है, के उपयोग–उपभोग में बाधा नहीं डालने व उक्त भूखण्ड पर वादीगण के निर्माण में तोड़–फोड़ नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। वादीगण ने वादपत्र के पैरा संख्या 14 में प्रतिवादीगण को धारा 80(2) सिविल प्रक्रिया संहिता व वाद ग्राम पंचायत के विरुद्ध पेश होने के आधार पर धारा 109 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम का नोटिस नहीं दिये जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र अलग से वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना जाहिर किया है। उक्त प्रार्थना पत्र इस पत्रावली में संलग्न नहीं है व उक्त प्रार्थना पत्र पर विद्वान विचारण

न्यायालय द्वारा क्या आदेश दिया गया, यह तथ्य भी इस स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 109 के अंतर्गत दो माह का नोटिस दिये बिना वाद संस्थित करने के संबंध में वादी के प्रार्थना पत्र पर छूट प्रदान की गयी है या नहीं, यह इस स्तर पर नहीं कहा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त याचीगण/प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा या लिखित कथन प्रस्तुत नहीं हुआ है। दोनों पक्षों को सुनकर स्थगन प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा सकता है। इस स्तर पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2026 को स्थगित किये जाने व विद्वान विचारण न्यायालय में लंबित वाद संख्या 30/2026 में अग्रिम कार्यवाही स्थगित किये जाने का कोई न्यायसंगत व उचित आधार प्रतीत नहीं होता है।

अतः याचीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र इस स्तर पर सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

S.B. Civil Revision Petition No. 275/2026:-

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पी.एफ. व नोटिस पेश होने पर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये जावें।

प्रकरण दो सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/05